[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

<u>2021 का विधेयक संख्यांक</u> 26

[दि कोकोनट डेवलेपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021

नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— 1979 का 5

'(ख) "अध्यक्ष" से धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड का गैर कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(खक) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ;'।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) में,—

(अ) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) गैर कार्यपालक अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ;

(कक) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ;

(कख) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, भारसाधक उद्यान कृषि एकीकृत विकास मिशन, पदेन ;";

(आ) खंड (च) के उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) उपभोक्ता मामले ;";

(इ) खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(छ) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले चार सदस्यों में से एक-एक सदस्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ऐसे राज्य जहां बड़े पैमाने पर नारियल का उत्पादन किया जाता है, की सरकारों का प्रतिनिधित्व करेगा ;

(ज) केंद्रीय सरकार द्वारा वर्णानुक्रम में चक्रानुक्रम द्वारा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल राज्यों और अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले चार सदस्य ;

(झ) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले छह सदस्य, दो केरल राज्य के नारियल उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और एक-एक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के नारियल उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ;";

धारा 5 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"5. बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य, ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियत किए जाएं । अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते ।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 में,— धारा 7 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) बोर्ड का भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(1क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(1ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।"

(ख) उपधारा (2) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में, "अध्यक्ष" शब्द के पश्चात्, "या मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपधारा (5) में, "मुख्य नारियल विकास अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य नारियल विकास अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (7) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में,— धारा 10 का संशोधन ।

(क) खंड (ख) में, "भारत में" शब्दों के स्थान पर, "भारत में या भारत से बाहर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (झ) में, "बड़े पैमाने पर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

7. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :— धारा 19 का संशोधन ।

"(घ) धारा 7 की उपधारा (1क) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्तव्य ;

(घक) धारा 7 की उपधारा (1ख) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 संघ के नियंत्रण के अधीन नारियल उद्योग के विकास का और उससे उपाबद्ध विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । नारियल विकास बोर्ड की स्थापना उक्त अधिनियम के अधीन 28 जनवरी, 1981 को की गई थी । इस समय बोर्ड का एक कार्यपालक अध्यक्ष है जो भारत सरकार का संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी है, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कृषि विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर इकाईयों के अधिकारियों में से की जाती है ।

2. बोर्ड के बेहतर प्रबंधन और प्रशासन तथा अधिकांशतः नारियल उत्पादकों के कल्याण के लिए, अध्यक्ष के पद को गैर कार्यपालक बनाने का प्रस्ताव है । बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अब तक उपयोग की जाने वाली सभी कार्यपालक शक्तियों का उपयोग करने के लिए बोर्ड में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद होने का भी प्रस्ताव किया गया है । इस प्रकार कार्यभार को बोर्ड के गैर कार्यपालक अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बीच विभाजित कर दिया जाएगा, जिसका परिणाम नारियल विकास बोर्ड के बेहतर और प्रभावी प्रबंधन तथा प्रशासन के रूप में होगा ।

3. गैर कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति से नारियल की खेती, उत्पादन, विपणन आदि के क्षेत्र में बेहतर शासन के लिए उसके वृहत अनुभव का उपयोग और अन्य आर्थिक अस्तित्वों के साथ गति बनाए रखने में नए और आने वाले अवसरों का लाभ उठाने में सहायता करेगा । इससे नारियल विकास बोर्ड को अधिक नूतनता से कारबार करने के प्रबंधन को और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और दक्ष रीति में संसाधनों का उपयोग करना और नारियल उत्पादकों के हितों को सुरक्षित करना भी सुकर बनाया जा सकेगा ।

4. नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 10 के अधीन नारियल का उत्पादन और विपणन तथा उसके उत्पाद और संबंधित कार्यकलाप भारत तक ही निर्बंधित है । ऐसे कार्यकलापों का भारत से बाहर विस्तार और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना आवश्यक है क्योंकि भारत अंतरराष्ट्रीय नारियल समुदाय का पहले ही सदस्य है ।

5. नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021 अन्य बातों के साथ—

(i) अध्यक्ष के पद को गैर कार्यपालक बनाने के लिए है, जिससे बोर्ड को बेहतर प्रबंधन और प्रशासन के लिए तथा नारियल उत्पादकों के कल्याण के लिए समर्थ बनाने ;

(ii) अध्यक्ष के विद्यमान कार्यपालक पद को मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पुनः नामित करना, जो बोर्ड की सभी कार्यपालक शक्तियों का उपयोग करने ;

(iii) उनसे संबंधित अन्य पारिणामिक विषयों,

का उपबंध करने के लिए है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
19 जुलाई, 2021.

नरेंद्र सिंह तोमर

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 का संशोधन करने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (क) उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (क) को नए खंड (क), खंड (कक) और खंड (कख) से प्रतिस्थापित करने के लिए है जो क्रमशः एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और पदेन संयुक्त सचिव, भारत सरकार प्रभारी उद्यान कृषि एकीकृत विकास मिशन की बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्ति का उपबंध करता है । उक्त खंड का उपखंड (ग) उक्त उपधारा के क्रमशः खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) को विद्यमान तीन सदस्यों के स्थान पर चार सदस्यों, विद्यमान पांच सदस्यों के स्थान पर चार सदस्यों और विद्यमान चार सदस्यों के स्थान पर छह सदस्यों की नियुक्ति का उपबंध करता है ।

2. विधेयक का खंड 4 उक्त अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर एक नई धारा को प्रतिस्थापित करने के लिए है । इस प्रकार प्रतिस्थापित धारा 5 उपबंध करती है कि बोर्ड का गैर कार्यपालक अध्यक्ष और सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियत किए जाएं ।

3. विधेयक का खंड 5 उक्त अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (1ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदेय वेतन और भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों का उपबंध करता है ।

4. तथापि, वेतन और भत्ते जिनका विद्यमान कार्यपालक अध्यक्ष को संदाय किया जा रहा है, का इसके पश्चात् तुरंत मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदाय किया जाएगा । इसके अतिरिक्त गैर कार्यपालक अध्यक्ष किसी वेतन का हकदार नहीं होगा किंतु केवल भत्तों का हकदार होगा । इसके अतिरिक्त गुजरात और आंध्रप्रदेश राज्यों के नारियल उत्पादकों से केवल दो सदस्यों को गैर शासकीय सदस्यों के रूप में बढ़ाया गया है, जो किसी वेतन के हकदार नहीं होंगे, किंतु केवल भत्तों के हकदार होंगे । इस प्रकार संदेय भत्ते बोर्ड की बैठकों, समिति की बैठकों, कृषि भूमियों के भ्रमण और अन्य शासकीय बैठकों में भाग लेने के लिए संदत्त किए जाएंगे तथा ऐसे भत्तों को केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा नियत किया जाएगा ।

5. विधेयक में आवर्ती प्रकृति का व्यय अंतर्वलित होगा, जो कि मंत्रालय के प्रशासनिक व्यय का भाग होगा । प्रस्तावित विधेयक के अधीन अंतर्वलित वास्तविक व्यय बोर्ड के सदस्यों द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या या किए गए भ्रमणों पर निर्भर करता है । अतः इस प्रक्रम पर इस प्रयोजन के लिए आवर्ती व्यय का सही अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 7 नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 19 का संशोधन करने के लिए है, जिससे (i) केन्द्रीय सरकार को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों और (ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधनों के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

वे विषय जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं तथा विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 5) से उद्धरण

*　　　*　　　*　　　*　　　*

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

*　　　*　　　*　　　*　　　*

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

*　　　*　　　*　　　*　　　*

अध्याय 2

नारियल विकास बोर्ड

बोर्ड की स्थापना और उसका गठन ।

4. (1)　　　*　　　*　　　*　　　*

(4) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) एक अध्यक्ष जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

*　　　*　　　*　　　*　　　*

(च) दो सदस्य, जो निम्नलिखित से संबंधित केन्द्रीय सरकार में मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(i) राजस्व; और

(ii) नागरिक पूर्ति और सहकारिता;

(छ) तीन सदस्य, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों की, जो ऐसे राज्य हैं जिनमें बड़े पैमाने पर नारियल उगाया जाता है, सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक-एक सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे;

(ज) पांच सदस्य, जो आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसी क्रम से केन्द्रीय सरकार द्वारा बारी-बारी से नियुक्त किए जाएंगे;

(झ) चार सदस्य, जिनमें से केरल राज्य के नारियल उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो तथा तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के नारियल उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक-एक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे;

*　　　*　　　*　　　*　　　*

अध्यक्ष का वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें तथा सदस्यों के भत्ते ।

5. (1) अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा और छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य विषयों की बाबत सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन रहेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाएं ।

(2) बोर्ड के सदस्य ऐसे भत्ते पाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किए जाएं ।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

7. (1) अध्यक्ष बोर्ड का मुख्य अधिशासक होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं । बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द ।

(2) केन्द्रीय सरकार मुख्य नारियल विकास अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं या जो अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

*   *   *   *   *

(4) केन्द्रीय सरकार बोर्ड का एक सचिव नियुक्त करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं या जो बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(5) मुख्य नारियल विकास अधिकारी और सचिव ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि या अन्य विषयों की बाबत सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन रहेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाएं ।

*   *   *   *   *

(7) बोर्ड का अध्यक्ष, मुख्य नारियल विकास अधिकारी, सचिव और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से असंसक्त किसी काम को अपने हाथ में नहीं लेंगे ।

*   *   *   *   *

10. (1)   *   *   *   * बोर्ड के कृत्य ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें निर्दिष्ट उपायों द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा—

*   *   *   *   *

(ख) भारत में नारियल और उसके उत्पादों के विपणन में सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना;

*   *   *   *   *

(झ) केन्द्रीय सरकार और उन राज्यों की सरकारों से, जिनमें बड़े पैमाने पर नारियल उगाया जाता है, परामर्श करके उचित स्कीमों का वित्तपोषण करना जिससे नारियल के उत्पादन में वृद्धि हो और नारियल की क्वालिटी और उपज की उन्नति हो और इस प्रयोजन के लिए पुरस्कार देने या नारियल उगाने वालों को और उसके उत्पादों का विनिर्माण करने वालों को प्रोत्साहन देने तथा नारियल और उसके उत्पादों के लिए विपणन सुविधाएं देने के लिए स्कीमें तैयार करना;

*   *   *   *   *

19. (1)   *   *   *   * केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

*   *   *   *   *

(घ) वे शक्तियां जिनका प्रयोग और वे कर्तव्य जिनका पालन अध्यक्ष बोर्ड के मुख्य अधिशासक के रूप में धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कर सकेगा;

*   *   *   *   *

MGIPMRND—461RS(CRC)—27-07-2021